राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ.312001;Ph&Fax :01472-241049;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2023 –24/4562 **दिनांक :** 19.6.2023

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :– Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 ( )2022/एफसीए/प्रमुवसं/5639 दिनांक 17.4.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नानुसार आक्षेप लगाए गए है। अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	प्रस्ताव का नाम स्पष्ट नही है कि प्रस्ताव में पारेषण लाइन डाली जानी है अथवा नवीन ग्रिड सबस्टेशन की स्थापना की जानी है। पारेषण लाईन कंहा से कंहा को जानी है, स्पष्ट किया जाना प्रस्ताबित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से यह कार्यालय सहमत है।
2	प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु संख्या 4 में 33 के.वी. ए. 11 के.वी. का विवरण संलग्न किया गया है। जबकि प्रस्ताव के अन्य दस्तावेजों में पारेषण लाईन 33 के.वी. की डाली जानी अवगत कराया गया है उक्त स्थिति को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से यह कार्यालय सहमत है।
3	रोजगार सृजन की सूचना सही नहीं भरी गयी है।	प्रयेक्ता अभिकरण द्वारा सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।
4	वर्तमान में चालू 11 केवी की पारेषण लाइन जिससे जोगनिया माता को विद्युत आपूर्ती हो रही है वह किस रूट पर बनी है एवं नवीन पारेषण लाईन डाले जाने के उपरांत उसका क्या किया जावेगा यह स्पष्ट नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से यह कार्यालय सहमत है।
5	बार चार्ट में चेनऐज इत्यादि अंकित नहीं किये गये है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से यह कार्यालय सहमत है।
6	उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव में दुगनी 13.08 है. वन भूमि पर वृक्षारोपण के स्थान पर 65 है. वन भूमि में वृक्षारोपण चिन्हित किया गया है। उक्त वृक्षारोपण ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र में लिया गया है प्रस्तावित स्थल के नजदीक कम घनत्व वाले क्षेत्र है जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.0 से 0.4 घनत्व वाले क्षेत्रों में ही किया जावे एवं वनमण्डल में स्थित कम घनत्व वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता पर वृक्षारोपण करें। अतः उप वन संरक्षक वृक्षारोपण के	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल भूमि 13.08 हैक्टेयर होती है। परन्तु भारत सरकार के पत्र एफ.नं. 5–2/ 2017 –एफसी दिनांक 28. 3.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में डी.एफएल पर 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाया जाना है। परन्तु उपलब्ध डीएफएल साईट

	चयन पर पुर्नविचार करें।	अनुसार 200 पौधे प्रति हैक्टेयर पौधे ही लगाये जा सकते है। अतः कुल 65.32 हैक्टेयर डीएफएल प्रस्तावित की गई है। प्रस्तुत डीएफएल मौका अनुसार क्षेत्र वृक्ष घनत्व 0.2 है जो भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
7	उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के डीजीपीएस मेप कोरनर कोर्डिनेट्स नहीं है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के डीजीपीएस मेप कोरनर कोर्डिनेट्स अंकित कर दिये गये है।
9	उप वन संरक्षक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है प्रस्ताव में कुल कितने वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।	प्रस्ताव में पार्ट –II में प्रजातिवार विदोहन होने वाले वृक्षों का विवरण अंकित किया गया तथा प्रस्ताव में हार्ड प्रति में विवरण भिजवाया गया है।
10	प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।	प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि वनखण्ड मेनाल का हिस्सा है जिसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति एवं खसरा सूची संलग्न कर दी गई है।
11	उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न की गयी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट 1 वर्ष 5 माह पुरानी है। अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्र की जावें।	प्रस्ताव हेतु चयनित डीएफएल भारत सरकार के निर्देशों एवं पौधारोपण हेतु उपयुक्त होने के कारण नवीन डीएफएल की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यावर्तन के संबंध में प्रस्तावित डीएफएल की निरीक्षण रिपोर्ट सहमति के साथ प्रेषित है।

भवदीय

(विजय शंकर पाण्डय)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2023 –24/4563 **दिनांक :** 19.6.2023

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता, (प व स) अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़